FEE INDIA TWENTY RUPEES Rs.20 | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES | 5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

302

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0 प्र0)

प्रकरण क्र0 R 3933-I-16 सन् 2016

1. मनोज तनय श्री रामगोपाल गुप्ता
2. आशीष तनय श्री रामगोपाल गुप्ता
3. बिहारी तनय श्री रामगोपाल गुप्ता
4. चन्द्रकुमारी पत्नी श्री बालाप्रसाद गुप्ता

निवासी– खजुराहो, तहसील राजनगर

5. लखन तनय श्री नाथूराम गुप्ता

निवासी ग्राम धवाड़ हाल राजनगर राधामाधव मंदिर के पास
तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 ,
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. रमाकान्त गुप्ता तनय श्री राम गुप्ता
2. रमेश तनय श्री नाथूराम गुप्ता

निवासी ग्राम धवाड़ हाल निवास सेवाग्राम खजुराहो

3. संतोष कुमार गुप्ता तनय श्री राम गुप्ता
4. सतीश कुमार तनय श्री बाबूलाल गुप्ता

निवासीगण -- राजनगर , तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 .... गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी बिरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के अपील प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.10.2016 से दु:खी होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता 1959

महोदय

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र सादर प्रस्तुत करते है :–

1. यह कि ग्राम धवाड़ स्थित भूमि खसरा नं0 549, 551, 552 कुल किता 03 एकत्र रकवा 9.865 हे0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निगरानीकर्तागणों एवं गैरनिगरानीकर्तागण के नाम पृथक–पृथक राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमियॉ तहसीलदार राजनगर

3

क्रमशः / /2/ /

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–छतरपुर

प्रकरण कमांक–निगरानी–3933–एक/2016

मनोज आदि विरूद्ध रमाकान्त आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 67/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला–छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	11.3.19